नागरिक समाज की प्रशासन में भूमिका

श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी

Ikjk'k *नागरिक समाज स्वैच्छिक नागरिक और सामाजिक संगठनों तथा संस्थाओं की समग्रता से बना एक ऐसा संगठन है, जो 'विधि के शासन' को आधार बना कर अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। विकासशील देशों में नागरिक समाज की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रही है। यह हर उचित नियम का समर्थन तथा अनुचित नियमों का विरोध करती है। भारत जैसे विकासशील देश में नागरिक समाज ने अपनी भूमिका का बड़ी गम्भीरता से निर्वहन किया है। हाल के दिनों में नागरिक समाज ने अन्ना आन्दोलन, CAA के खिलाफ आन्दोलन और किसान आन्दोलन किया है, किसान आन्दोलन अभी भी चल रहा है। वस्तुतः नागरिक समाज उन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करता है, जो जन सामान्य के हितों से जुड़े होते हैं। अभीष्ट शोध पत्र में 'नागरिक समाज' की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए प्रशासन में उसकी भूमिका को व्याख्यायित किया गया है।*

प्रस्तावना

नागरिक समाज से अभिप्राय गैर-सरकारी संस्थाओं जैसे सहकारी, व्यावसायिक एवं कर्मचारी संगठनों तथा उन व्यवस्थित संस्थाओं से है जो राज्य तथा परिवार के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। राजनीतिक समूह, धार्मिक समूह और सामुदायिक समूह आज के युग में न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आजकल अनेक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सिविल सोसाइटी के उदाहरण मिलते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल करने में लगे हुए हैं। सामाजिक विकास के क्षेत्र में पर्यावरणीय या मानव अधिकारों से संबंधित N.G.O. परंपरागत राजनीति के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ते दृष्टिगत होते हैं। मॉण्टेस्क्यू, हेगेल और डी0 टाकविले जैसे प्रबुद्ध दर्शनिकों के समय से आरम्भ नागरिक समाज की संकल्पना निरन्तर एक अत्यंत प्रभावशाली विषय-वस्तु रही है। नागरिक समाज की संकल्पना के

पुनरूत्थान का कारण काफी हद तक पूर्वी यूरोप और पूर्व सोवियत संघ में उत्तर सर्वसत्तावादी शासन के विरूद्ध नागरिक समाज आदोलनों से मिली प्रेरणा को माना जा सकता है। परिवर्तन की अबाधिक अनन्तर इन क्षेत्रों में और तृतीय विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संक्रमण की स्थिति बनी रही जिसका उल्लेख *सैमुअल पी0 हंटिंग्टन* ने 'तीसरी लहर' के रूप में किया है।

नागरिक समाज की विशिष्टता की जड़े लोकतंत्रीकरण के उन उत्तरोत्तर आंदोलनों में पाई जा सकती है जिसकी शुरूआत लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप में हुई तथा प्रसार विकासशील जगत में हुआ। नागरिक समाज की विशेषता यह बताई गयी है कि यह एक ऐसा समाज है जो तानाशाह सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए और जनता के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने के लिए उत्तरोत्तर रूप से एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। नागरिक समाज को सुशासन (Good Governance) की एक अनिवार्य पूर्वापेक्षा माना गया है। इसके योगदान को विशेष रूप से पारदर्शिता, प्रभावकारिता, खुलापन, अनुक्रियाशीलता और जवाबदेही सुनिश्चितता करने की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य कर एक नैतिक और खुले लोकतंत्र का पोषण करने, कानून का शासन और विविधता एवं बहुलवाद को स्वीकार किए जाने के मामले में मान्यता दी गयी।

राजनीतिक रूप से परिकल्पित नागरिक समाज की जड़ें उदारवादी–लोकतांत्रिक सिद्धान्त की आंग्ल–अमेरिकी परंपरा में है जिसमें नागरिक संस्थाओं और राजनीतिक कार्यकलाप को नागरिकता अधिकार लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और कानून के शासन के सिद्धान्तों पर आधारित एक विशिष्ट प्रकार के राजनीतिक समाज के प्रादुर्भाव के एक अनिवार्य घटक के रूप में अभिज्ञात किया जाता है। नागरिक समाज की समाजशास्त्रीय संकल्पना एक तरफ राज्य और दूसरी ओर समाज के मूलभूत निर्णायक तत्वों के बीच स्थित एक मध्यवर्ती सहयोगात्मक क्षेत्र की संकल्पना है जिसमें सामाजिक संगठन निवास करते हैं और उसके सदस्यों के पास कुछ हद तक स्वायत्तता और स्वैच्छिक सहभागिता होती है।

,Me fLeFk (Adam Smith) ने पहली बार बाजार संगठित आवश्यकता क्षेत्र के रूप में इसके शास्त्रीय बुर्जुवा अर्थ को स्पष्ट किया जो अलग-अलग (निजी) स्वामियों की स्वार्थपरता द्वारा प्रेरित है। परन्तु एडम स्मिथ **y,d** की इस धारणा से काफी प्रेरणा लेते हैं कि नागरिक समाज का गठन संपत्ति, श्रम-विनिमय और उपभोग द्वारा होता है। बाजारों के तीव्र विकास में जल्द ही बुर्जुवा राजनीतिक अर्थशास्त्रियों को नागरिक समाज को एक ऐसे स्वायत्त स्वशासी क्षेत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जो विशिष्ट लाभ के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को सार्वजनिक कल्याण में परिवर्तित कर सके। *हेगेल* ने इस समझ के अनुसार अपने राज्य और नागरिक समाज के सिद्धान्त का निर्माण किया और उसने कहा कि नागरिक समाज राज्य अविकसित

या प्रारम्भिक रूप है जिसमें राज्य की सम्भावना तो है परन्तु उसकी वास्तविक आत्मा और विशिष्टता का अभाव है।[1] *मार्क्स* ने हेगेल के सिद्धान्त में जो परिवर्तन किया वह वामपंथ के काफी कुछ विचारों को बताता है। *टाकविले* के अनुसार नागरिक समाज स्व संघटन और सहयोग की अनौपचारिक संस्कृति द्वारा संपोशित स्वैच्छिक साहचर्य का एक मध्यवर्ती क्षेत्र है उनका यह निष्कर्ष कि अमेरिका के लोग स्थानीय हितों की रक्षा के लिए आपस में सहयोग करने के लिए विशेष रूप से एकजुट हो जाते हैं। कुछ समय तक स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयासों पर निर्भर रहा है। इस विचार ने पूर्वी यूरोप में नागरिक समाज पर काफी साहित्य को प्रोत्साहित किया। *टाकविले* ने नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता देने वाले साहचर्य के अनुभवों को अधिकतम महत्व दिया।

'नागरिक समाज' का विचार उदार लोकतांत्रिक विचार प्रबंधन से मूलभूत रूप से जुड़ा है जिसमें सामाजिक विचारों की बहुलता का समर्थन किया गया है। नागरिक समाज की धारणा कतिपय विशेषताओं से जुड़ी है जैसेः

स्वैच्छिक सहभागिता और राज्य से पृथक्करण और स्वायत्तता। *लैरी डायमंड* की नागरिक समाज की परिभाषा अत्यंत व्यापक है जिसे उद्धृत किया जा सकता है "नागरिक समाज ... संगठित सामाजिक जीवन का क्षेत्र है जो स्वयंसेवी, स्वउत्पादक (आम तौर पर) आत्मनिर्भर, राज्य से स्वायत्त हो तथा विधिक आदेश अथवा साझा नियमों के एक समुच्चय से बंधा हो। यह सामान्य समाज से इस अर्थ में भिन्न है कि इसमें ऐसे नागरिक सम्मिलित हैं जो अपने हितों, मनोभावों और विचारों को व्यक्त करने, सूचना का आदान-प्रदान करने, पारस्परिक लक्ष्यों को प्राप्त करने, राज्य के समक्ष मांग रखने और राज्य के अधिकारियों को उत्तरदायी बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में सामूहिक रूप से कार्य करते हों। नागरिक समाज निजी क्षेत्र और राज्य के बीच स्थित एक मध्यवर्ती अधिसत्ता है।

विकासशील देशों में नागरिक समाजों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मजदूर संघ (Trade Union), व्यावसायिक और पेशेवर संघों जैसे आधुनिक हित समूहों और रक्त संबंध, न जातीयता, संस्कृति या धर्म पर आधारित परंपरागत संगठनों के बीच, विशिष्ट रूप से राजनीतिक आकांक्षाएँ और भूमिका रखने वाले संघों और राजनीतिक शासन में परिवर्तित कर अथवा राजनीतिक समुदाय को पुनर्परिभाषित कर राजनीतिक बदलाव का उद्देश्य रखने वाले संघों के बीच, ट्रेड यूनियनों और व्यवसाय पेशेवर संगठनों जैसे अत्यंत संगठित और पूर्ण संसाधन युक्त हित समूहों और गैर सरकारी संगठनों या सामुदायिक संघों जिनकी भिन्न-भिन्न प्रचालन कार्यविधियाँ और संगठनात्मक उद्देश्य होते हैं।

नागरिक समाज संगठनों में व्यापक रूप से भिन्नता होती है जैसे (क) सामाजिक कर्त्ताओं के संगठन में संलग्न संगठन जिसमें महिला, श्रमिक, दलित आदि के संगठन

होते हैं, (ख) सरकार–समाज परस्पर संपर्कों में वशिष्ट समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन, (ग) समाज की ओर से सरकारी गतिविधियों की मानीटरिंग और मूल्यांकन करने वाले संगठन, (घ) अनेक अन्य संगठन जो विकासात्मक कार्यकलापों में रत हैं जिन्हें आमतौर पर विकास गैर-सरकारी संगठन कहा जाता है। नागरिक समाज संगठन राजनीतिक जीवन में एक सक्रिय और रचनात्मक भूमिका अदा करते हैं। वे अधिक उचित, अधिक ईमानदार, पारदर्शी, लोकतांत्रिक जवाबदेह शासन को बढ़ावा देते हैं जो विविधता और बहुलवाद के मामले में अधिक सहिष्णु होता है। वे स्वयं अपने संगठनों के भीतर इस प्रकार के शासन (Governance) को व्यक्त कर दूसरों के लिए अनुकरणीय आदर्श (Role Model) हो सकते हैं। नागरिक समाज सुशासन में सकारात्मक रूप से योगदान कर सकता है। ये हैं –

(क) लोकनीति एवं निर्णय निर्धारण

(ख) पारदर्शिता एवं सूचना

(ग) सामाजिक सक्रियता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन

(घ) सरकारी प्रयासों का अनुपूरक बनना

(ङ) सामाजिक न्याय के लिए कार्य करना।

- नागरिक समाज संगठन विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों को राजनीति और सार्वजनिक मामलों में आर्थिक पूर्णता में भाग लेने के लिए संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।
- नागरिक संगठन सरकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के बारे में पारदर्शिता बढ़ाकर तथा सूचना की उपलब्धता में वृद्धि कर बेहतर शासन में योगदान कर सकते हैं। इन लक्ष्यों को बढ़ावा देने के बारे में नागरिक समाज के भीतर की गतिविधियों में विधायन सम्बन्धी मुद्दों के बारे में सूचना की खोज। प्रकाशन और प्रसार कानूनी प्रावधान, सार्वजनिक व्यय हेतु आवंटन, नीति और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और विशेष जाँच पड़ताल शामिल हैं।
- नागरिक समाज समूह बदलती वन विकास नीति, दोषी अधिकारियों को स्थानान्तरित करने, निर्धनों और झुग्गीवासियों को आवास और चिकित्सा सहायता प्रदान करने आदि से विभिन्न सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सरकारों पर दबाव डालने के लिए नागरिकों को प्रायः सफलतापूर्वक संगठित करते हैं।
- नागरिक समाज संगठन विविध तरीकों से सार्वजनिक सेवाओं को आकार देने, वित्तपोषण करने और उन्हें डिलीवर करने में सीधे सरकार के साथ मिलकर कार्य कर योगदान कर सकते हैं।

चौथा क्षेत्र जहाँ नागरिक समाज सुशासन में योगदान कर सकता है वह सामाजिक न्याय अधिकारों और कानून के शासन के क्षेत्र में है।

भारत में सिविल समाज का उदय सामाजिक आंदोलन के कारण हुआ है। जब आजादी के वैसे लोगों को भी राजनीतिक सहभागिता का अवसर मिला जो कि पहले तमाम बुराईयों के कारण संभव नहीं था तब पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कृषक आदि ने भारतीय लोकतंत्र द्वारा दिए गए अवसर को पाने का प्रयास करने लगे। भारत जैसे देश में नागरिकों की संगठित पहल अन्य रूपों में भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे– जनांदोलन एवं जनसंघर्ष। *महात्मा गाँधी, विवेकानन्द* और *मदर टेरेसा* जैसे लोगों ने समय-समय पर ऐसे आंदोलनों को प्रेरणा प्रदान की है। *बाबा आम्टे, सुन्दर लाल बहुगुणा, पाण्डुरंग शास्त्री आधवले* के नेतृत्व में कुछ ऐसे ही जनान्दोलन आधुनिक भारत में नागरिक समाज की उभरती भूमिका को धार प्रदान करते हैं।

जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मुद्दें पर प्रारम्भ हुए बिहार के छात्रों के एक गैर-राजनीतिक आंदोलन ने अन्ततः केन्द्र में सत्ता परिवर्तन को जन्म दिया जनलोकपाल की मांग को लेकर *अन्ना हजारे* का आंदोलन तथा काले धन की विदेशों से वापसी को लेकर *बाबा रामदेव* का आंदोलन वर्ष (2011) देश के नागरिक समाज की ही उपज है। नागरिक समाज के कुछ निर्माणकारी घटक हैं :

- समुदाय आधारित संगठन
- गैर-सरकारी संगठन
- युवाओं के संगठन एवं समूह
- महिला संगठन एवं समूह
- धार्मिक संघ एवं समूह
- सहकारी समूह
- श्रमिकों के संघ
- किसानों के संघ एवं समुदाय

नागरिक समाज ने सदैव ही अपनी भूमिकाओं का सुचारू ढंग से निर्वहन किया है। प्रशासन और सरकार के साथ प्रत्यक्षतः संवाद स्थापित करने का प्रयास नागरिक समाज का रहा है। सकारात्मक पहलुओं पर सहयेाग साथ ही जिन बिन्दुओं पर सरकार से नागरिक समाज का मतभेद रहता है उन पर वह प्रशासन तथा सरकार का मुख्य विरोध भी करती है। इस सन्दर्भ में भारत में कई उदाहरण देखने को मिलते हैं यथा– *चिपको आन्दोलन, नर्मदा बचाओं आन्दोलन*। ये आन्दोलन सफल हुए और नागरिक समाज के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम

1986 पारित करना पड़ा। समकालीन परिपेक्ष्य में देखा जाए तो विगत् एक दशक में नागरिक समाज ने भारत में तीन बड़े आन्दोलन किए हैं –

1. भ्रष्टाचार निवारण और लोकपाल के लिए अन्ना आन्दोलन
2. CAA के विरोध में
3. किसान आन्दोलन 2020 से अद्यतन्

इन आन्दोलनों में अन्ना आन्दोलन ही सफल रहा और नागरिक समाज ने आन्दोलन से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सत्ता को हथिया लिया। सम्यक् दृष्टि से देखा जाए तो नागरिक समाज प्रशासन में निम्नांकित भूमिकाओं का निर्वहन करता है :

- नागरिक समाज का प्रथम कार्य राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण बनाए रखना है। भारत, जो सदियों तक अंग्रेजों के अधीन रहने के बाद स्वतंत्र हुआ, में नौकरशाही आज भी परंपरागत औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित है। राजनीतिक दल एवं नेता भी जनता का विश्वास पाकर प्राप्त शक्ति के मद से चूर होकर अपने संवैधानिक दायित्व के पथ से बहुधा भटकते नजर आते हैं। ऐसे में नागरिक समाज के सदस्य इन पर नियंत्रण एवं संतुलन बनाकर इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाये रखने को बाध्य करते हैं।
- राजनीतिक सहभागिता के मामले में भी सिविल सोसाइटी की भूमिका महत्वपूर्ण है। गैर सरकारी संगठन लोगों को उसके अधिकार, कर्तव्य एवं जिम्मेदारी के बारे में जो कि उन्हें लोकतांत्रिक नागरिक बनाता है, शिक्षा देकर राजनीति में सहभागी बना सकता है।
- नागरिक सामाजिक संगठन लोकतान्त्रिक जीवन के अन्य मूल्यों के विकास में भी कारगर हैं जैसे– संयम, आधुनिकता, समझौता और विरोधियों के विचारों के प्रति आदर आदि। बिना इन गुणों के भारत जैसे विविधता वाले देश में लोकतंत्र को मजबूत कर पाना काफी कठिन है।
- नागरिक समाज लोकतंत्र एवं मानवाधिकार प्रशिक्षण से भी काफी गहरे रूप से जुड़ा है। इस संदर्भ में लोक शिक्षा व्यवस्था के विकास एवं प्रसार तथा गुणवत्ता नियंत्रण में यह कारगर है।
- नागरिक समाज एक ऐसी जगह है जहाँ अलग-अलग हितों को एक साथ जोड़कर सामूहिक हित में बदल दिया जाता है। यह समाज अपने सदस्यों जैसे महिला, विद्यार्थी, कृषक, पर्यावरणविद्, ट्रेड यूनियन, वकील, डॉक्टर आदि के चिंताओं एवं आवश्यकताओं या जरूरतों के लिए लॉबिंग करता है।

- भारत जैसे देश में जहाँ विभिन्न संप्रदाय, धर्म, जाति, वर्ग आदि के लोग रहते हैं, वहाँ इनके बीच अपने धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के आधार पर एकजुटता लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर पाएगा।
- नागरिक समाज भविष्य के राजनीतिक नेताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करता है। गैर सरकारी संगठन और अन्य इस तरह के समूह इस तरह के नये नेताओं को पहचान कर प्रशिक्षित कर सकता है।
- नागरिक सोसाइटी लोगों को महत्वपूर्ण लोक मुद्दों के बारे में सूचना प्रदान करता है। यह कार्य केवल मीडिया का न होकर ऐसे सामाजिक संगठनों का भी है।
- नागरिक समाज संगठन विवाद को खत्म करने में मध्यस्थता करके एवं अन्य तरह से सहायता देकर मदद कर सकता है।
- नागरिक समाज चुनाव प्रक्रिया पर पैनी नजर रखता है। इसलिए ये संगठन आपस में तारतम्य बिठाकर जो कि राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों से किसी प्रकार का संबंध न रखते हुए, विभिन्न मतदान केन्द्र पर तटस्थ पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर स्वतंत्र शांतिपूर्ण मतदान एवं मतगणना को सुनिश्चित करने पर जोर देता है।
- नागरिक समाज की भूमिका वहाँ और भी ज्यादा प्रासंगिक जान पड़ती है जहाँ तक सरकारी तंत्र की पहुँच नहीं होती है। बाजार कारक सामाजिक रूप से अंधे होते हैं इसके कारण सामान्यतः असमता, अन्याय एवं भ्रष्टाचार पनपता है। ऐसे में सिविल समाज लोगों को जागरूक बनाकर बाजार को भी सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों के प्रति आदर करने के लिए बाध्य करता है।
- नागरिक समाज वैसे हितों जो कि या तो प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं या फिर जिसकी अनदेखी की गयी है, के लिए एक उत्प्रेरक एवं वकालत करने का काम करता है।

भारत में 20 लाख से अधिक गैर-सरकारी संगठन है। रूस में हर वर्ष चार लाख और कीनिया में 120 गैर सरकारी संगठन बनाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुमानत 20 लाख निरपेक्ष संगठन हैं जिन्होंने 11 मिलियन से अधिक लोगों को नियोजित कर रखा है। भारत में लाभ निरपेक्ष क्षेत्र के संगठनों के पास सूचना एकत्र करने और उसका प्रसार करने के लिए कोई फेडरेशन या यूनियन नहीं है इसलिए उनकी संख्या अथवा उनके क्रियाकलापों के क्षेत्र के रूप में उनके कार्यों के पैमाने को आंकना बहुत कठिन है। इस प्रकार के मिलियन से अधिक संगठन हैं जो देश में समितियाँ न्याय अधिनियमों के तहत पंजीयत हैं। सामाजिक आर्थिक संस्थाओं का यह

विशाल जाल (नेटवर्क) बहुत से मुख्य सरकारी नीतिगत उद्देश्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है –

1. यह उत्पादकता और प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाने में सहायता दे सकता है।
2. यह समावेशी संपत्ति सृजन में योगदान दे सकता है।
3. सरकार की लोक केन्द्रस्थता को बढ़ा देता है।

भारत का संविधान सुस्पष्ट रूप से बोलने और विचारों की अभिव्यक्त करने और समितियों एवं साझेदारियाँ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 19 (1) के अंतर्गत अपने नागरिकों के मूल अधिकारों में से एक अधिकार मानता है और इसलिए सिविल सोसाइटी समूह और सामुदायिक संगठन बनाने को प्रोत्साहन देता है।[4] सिविल सोसाइटी संगठन राज्य और बाजार दोनों के रूढ़िगत स्थान से बाहर कार्य करते हैं लेकिन उनमें इन दोनों संस्थाओं को नागरिकों की जरूरतों और अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के लिए उनसे बातचीत करने उन्हें मानने उन पर दबाव डालने की क्षमता है। बावजूद इसके नागरिक समाज के समक्ष निम्नांकित चुनौतियाँ उपस्थित होती हैं –

- नागरिक समाज के भीतर शक्ति और शक्ति असंतुलनों की चुनौती है। यह क्षेत्र जीवंत और अत्यधिक विधि है। इसमें लाखों डॉलर बजट वाले बड़े परार्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन और अत्यधिक सीमित संसाधन, सूचना तथा सीमित पहुँच और क्षमता वाले अत्यंत लघु नागरिक आधारित संगठन दोनों शामिल हैं।
- दूसरी चुनौती जो नागरिक समाज के भीतर की है संकीर्ण हितों और वृहत्तर लक्ष्यों के बीच की दूरी को कम करने की है।
- तीसरी आंतरिक चुनौती एक अधिक उचित और न्यायसंगत वैश्विक प्रणाली के लिए एक सुसंगत दृष्टि प्रस्तुत करने की है।
- चौथी चुनौती वैधता की चुनौती और पारदर्शिता एवं जवाबदेही से संबंधित मुद्दे की है।

भारत में नागरिक समाज का यद्यपि कोई उल्लेख नहीं है पर संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार यथा–संघ बनाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आदि अप्रत्यक्ष रूप से सिविल समाज की ओर इशारा करती है। इसके अतिरिक्त सिविल समाज की स्थापना के आधार के रूप में धर्मनिरपेक्षतावाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, नागरिकता के महत्व एवं योगदान को देखा जा सकता है। विधि का शासन (Rule of Law) भी नागरिक समाज के लिए आवश्यक है नागरिक समाज की भूमिका राज्य की नीतियों पर निर्भर है। इसलिए दोनों में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। तनाव के क्षण उस समय उत्पन्न होते हैं जब सरकार का रवैया टालमटोल

का हो एवं जनता सिविल समाज के अंतर्गत संगठित हो तथा अपने हितों के प्रति जागरूक हो। किसी भी लोकतंत्र के लिए एक आदर्श स्थिति यह है कि नागरिक समाज एवं राज्य एक साथ मिलकर कार्य करें।

संदर्भ सूची

1. त्रिपाठी, श्रीप्रकाश मणि (2011), 'समकालीन राजनीतिक चिन्तन', राज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, पृ0 90
2. वही, पृ0 458
3. अन्ना आन्दोलन और उनकी ताकत, www.dw.com
4. अनुच्छेद 19(i) भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद, 2001